

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

गिरवासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

कारण संख्या :- 593/2024

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए. व 136 एलआरएक्ट

- गिरदावरी देवी पत्नी राजाराम उर्फ रजीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- हनुमान सिंह मण्डा पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- सुभाषचन्द्र मण्डा पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।

बनाम

- मदनलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- कमला देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- जगराम पुत्र मुला जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- पेमा पुत्र रूपा जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- पुरखा पुत्र रूपा जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- बेगा पुत्र मुला जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- भगवाना पुत्र रूपा जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- मोटा पुत्र दाना जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- रेडा पुत्र दाना जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- राधादेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- रामेश्वरी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
- हरीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 27.11.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील
प्रतिवादी संख्या 1, 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.
संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 11
एसबीएन

- गिरदावरी देवी पत्नी राजाराम 1/2 हि. हनुमान सिंह मण्डा, सुभाषचन्द्र मण्डा पि.बृजलाल बहिब 1/2 हि.जाति जाट सा.रतनपुरा:-

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
176/202	12	1/0.038 है.नहरी, 2/0.101 है.नहरी 8/0.253 है.नहरी

- मदनलाल पुत्र सुखराम जाति जाट सा.रतनपुरा:-

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
176/202	12	9/1/0.126 है.नहरी, 10/1/0.127 है.नहरी

- महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट सा.रतनपुरा :-

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
176/202	12	9/1/0.127 है.नहरी, 10/1/0.126 है.नहरी

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर
गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो
सका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी
न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर
नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया
पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3512 दिनांक 28.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
न्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.11.25 को खुले न्यायालय में
जारी किया गया।




(जय कौशिक)
सहायक न्यायाधीश एवं
उपरखण्ड अधिकारी संगरिया
राजस्थान